

29.9.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी  
अधिवक्ता को उपस्थित होकर सम्मान प्रोसेज पेश करने हेतु  
अन्तिम अवसर दिया जाता है।  
पत्रावली वास्ते तामिल दिनांक 8.10.25 को पेश

हो।


8.10.25.

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण  
का मूलबाद अदम एजरी- अदम पेंचो में खारिज हो चुका है।  
जिससे इस प्रकरण में अब कोई अर्थबाही शक नहीं रहती है।

उक्त प्रार्थनापत्र आदेश 9 नियम 8 के तहत अदम एजरी  
अदम पेंचो में खारिज किया जाता है। निर्णय खरेडजलास खुलासा  
गया। प्रकरण फंसलशुमार होकर नम्बर से हट हो।



(अतुला नाईडू)

IAS